FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

अज अदालत.. मुकाम..

हरखाराम वगैरा बनाम किशनाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आदे० III, 128 RLR नं. 360/19 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/12/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री धामाराम सारण ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/अपील धारा 111, 128 RLR. राजस्थान ~~काश्तकारी~~/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 30/12/19 को पेश हो। विवेक व्यास 10.12.19 सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
30/12/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 14/01/2020 को पेश हो। विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
14/01/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समक्ष तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के	

विवेक व्यास

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:54:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय ...
1062 ... /2020/
अन्य आवेदन संख्या – 360...
प्रार्थीगण

अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत मेढ़ा मेढ़ मिले हुए है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेतों के बीच जो पुरानी मेढ़े व हदें बनी हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। बरसात होने पर विपक्षीगण प्रार्थी के मेढ़ो को तोड़कर प्रार्थी के खेत में शामिल कर लेते है। प्रार्थी को अपने मेढ़ो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। जिस कारण प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा मेढ़ो को लेकर तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के मेढ़ो का सही ज्ञान करने के लिए नेपमबंदी करवानी आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेपमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेपमबंदी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा करवाकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:54:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 1062 दिनांकः– 14/1/2020

राजस्व आवेदन संख्या – 360 / 19

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
श्री हरखाराम पुत्र उदाराम वगैरा 4 जातियान्–जाट, निवासीयान्–रामासरिया, खींपर तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		श्री किशनाराम पुत्र हीराराम वगैरा 43 निवासीयान्– खींपर, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा खींपर पटवार हल्का खींपर के खेत खसरा नम्बर 523, 524, 706 / 526 रकबा 00.03, 00.05, 55.19 बीघा व मौजा रामासरिया के खेत खसरा नम्बर 480 रकबा 17.04 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500 /– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

सहायक कलक्टर (SDO)
(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः– 14-1-2020

क्रमांक / वाद / 2019 / 1063 – 67

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, खींपर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री हरखाराम पुत्र उदाराम वगैरा 4।
4. विप्रार्थीगण श्री किशनाराम पुत्र हीराराम वगैरा 43।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:54:15 IST
Reason: SelfAttested